



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2017/ ज्येष्ठ 1, 1939

No. 390]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2017/ JYAISTHA 1, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2017

सा.का.नि. 488(अ).—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वापक पदार्थ विभाग (समूह 'ग' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1979 को जहां तक उसका संबंध मोटर यान चालक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय स्वापक पदार्थ व्यूरो में स्टाफ कार चालक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय स्वापक पदार्थ व्यूरो, स्टाफ कार चालक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।
(ii) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना** - ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि:-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता:-** वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेबल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु -सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार चालक श्रेणी - 1	27* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29,200 - 92,300 रु.)	अचयन	लागू नहीं होगा

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा	प्रोन्नति

प्रोन्नति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25, 500 - 81,100 रु.) में ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी - 2 जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार चालक श्रेणी - 2 और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) में पंद्रह वर्ष की संयुक्त सेवा की हो और निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समुचित मानक का व्यवसायिक परीक्षण पास कर लिया हो:- (i) अंग्रेजी अंकों और अक्षरों को पढ़ने के योग्य हो ; (ii) खराबियों को पता लगाना और छोटी-मोटी खराबियों	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि / प्रोन्नति समिति (पुष्टि / प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. स्वापक पदार्थ उप आयुक्त (मुख्यालय) / महाप्रबन्धक (नीमुच) सरकारी अफीम और अल्कालोइड वर्क्स : अध्यक्ष (जो कोई भी ज्येष्ठ हो) 2. स्वापक पदार्थ उप आयुक्त / महाप्रबन्धक (नीमुच) सरकारी अफीम और अल्कालोइड वर्क्स : सदस्य	आवश्यक नहीं है।

<p>की मरम्मत करने के योग्य हो ;</p> <p>(iii) यातायात विनियमों की अच्छी जानकारी हो ; और</p> <p>(iv) पहियों को बदलने और टायरों में सही हवा भरने के योग्य हो ।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु ये तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा कि अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p>	<p>(जो कोई भी कनिष्ठ हो)</p> <p>3. स्वापक पदार्थ सहायक आयुक्त (स्थापना) : सदस्य</p> <p>टिप्पण: जहां उपरोक्त कर्मांक 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहाँ विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा ।</p>	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार चालक श्रेणी -2	23* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25,500-81,100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होगा

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा	प्रोन्नति

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19,900 - 63,200 रु.) में ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समुचित मानक का व्यवसायिक परीक्षण पास कर लिया हो:-</p> <p>(i) अंग्रेजी अंकों और अक्षरों को पढ़ने के योग्य हो ;</p> <p>(ii) खराबियों को पता लगाना और छोटी-मोटी खराबियों की मरम्मत करने के योग्य हो ;</p> <p>(iii) यातायात विनियमों की अच्छी जानकारी हो ; और</p> <p>(iv) पहियों को बदलने और टायरों में सही हवा भरने के योग्य हो ।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु ये तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि / प्रोन्नति समिति (पुष्टि / प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>1. स्वापक पदार्थ उप आयुक्त (मुख्यालय) / महाप्रबन्धक (नीमुच) सरकारी अफीम और अल्कालोइड वर्क्स : अध्यक्ष (जो कोई भी ज्येष्ठ हो)</p> <p>2. स्वापक पदार्थ उप आयुक्त / महाप्रबन्धक (नीमुच) सरकारी अफीम और अल्कालोइड वर्क्स : सदस्य (जो कोई भी कनिष्ठ हो)</p> <p>3. स्वापक पदार्थ सहायक आयुक्त (स्थापना): सदस्य</p> <p>टिप्पण : जहां उपरोक्त कर्मांक 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहाँ विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा ।</p>	<p>आवश्यक नहीं है ।</p>

या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा कि अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	23* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसन्धिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900-63,200 रु.)	लागू नहीं होगा	18-25 वर्ष के बीच * (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) *यदि सीधी भर्ती, सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है तो आयु सीमा 18 से 27 वर्ष होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मोटर कार के लिए विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति रखता हो ; (ii) मोटर यांत्रिकी की जानकारी हो (अभ्यर्थी को यान में छोटी-मोटी खराबियों को दूर करना आता हो।) ; (iii) कम से कम तीन वर्ष के लिए मोटर कार चलाने	लागू नहीं होगा	सीधे भर्ती या पुनर्नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कार्मिक के लिए : प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन

<p>का अनुभव हो ; और</p> <p>(iv) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।</p> <p>वांछनीय: होम गार्ड / सिविल स्व्य सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा।</p> <p>टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति / आमेलन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900) में ऐसे नियमित सवार हरकारा (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जिनके पास मोटर कार चलाने के लिए सक्षमता का आकलन करने के लिए चालन परीक्षण के आधार पर मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो, जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900) में सवार हरकारा या नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों को पद धारण करने वाले ऐसे पदधारियों से जो स्तम्भ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताओं को पूरा करते हैं।</p> <p>सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष के अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिज़र्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्वापक पदार्थ उप आयुक्त (मुख्यालय) / महाप्रबन्धक (नीमुच) सरकारी अफीम और अल्कालोइड वर्क्स : अध्यक्ष (जो कोई भी ज्येष्ठ हो) 2. स्वापक पदार्थ उप आयुक्त / महाप्रबन्धक (नीमुच) सरकारी अफीम और अल्कालोइड वर्क्स : सदस्य (जो कोई भी कनिष्ठ हो) 3. स्वापक पदार्थ सहायक आयुक्त (स्थापना) : सदस्य <p>टिप्पण: जहां उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहाँ विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समूह 'क' अधिकारी को विभागीय पुष्टि समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।</p>	<p>आवश्यक नहीं है।</p>

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd May, 2017

G.S.R. 488(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Narcotics Department (Group "C" and Group "D" posts) Recruitment Rules, 1979, in so far as it relates to the post of the Motor Vehicle Driver, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Drivers in the Ministry of Finance, Central Board of Excise and Customs, Central Bureau of Narcotics, namely:-

1. Short title and commencement. - (i) The rules may be called the Ministry of Finance, Central Board of Excise and Customs, Central Bureau of Narcotics Staff Car Drivers (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2017.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the post, specified in the Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and Level in the Pay Matrix. - The number of said posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications. - No person, -

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car Driver (Grade-I)	27* (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level – 5 in the Pay Matrix (Rs.29,200-92,300)	Non Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Staff Car Driver Grade - II in Level - 4 in the Pay Matrix (Rs.25,500-81,100) with six years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test of appropriate standard specified below:-</p> <p>(i) must be able to read english numerals and figures;</p> <p>(ii) must be able to locate faults and carry out minor running repairs;</p> <p>(iii) must have good knowledge of traffic regulations;</p> <p>(iv) must be able to change wheels and correctly inflate tyres.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee for considering promotion/confirmation consisting of :-</p> <p>1. Deputy Narcotics Commissioner (Hqrs.) / General Manager, (Neemuch) Govt. Opium and Alkaloid works (whosoever is senior) – Chairman</p> <p>2. Deputy Narcotics Commissioner (Hqrs.) / General Manager, (Neemuch) Govt. Opium and Alkaloid works (whosoever is junior) – Member</p> <p>3. Assistant Narcotics Commissioner (Estt.) – Member</p> <p>Note: Where none of the members at Sl.No.1 to 3 above belongs to Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, a Group 'A' Officer from outside the Department belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes category shall also associate as a member of Departmental Promotion Committee.</p>	Not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Staff Car Driver Grade-II	23* (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non - Ministerial	Level - 4 in the Pay Matrix (Rs.25,500-81,100)	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Level – 2 in the Pay Matrix (Rs.19,900-63,200) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test of appropriate standard specified below:-</p> <p>(i) must be able to read english numerals and figures;</p> <p>(ii) must be able to locate faults and carry out minor running repairs.</p> <p>(iii) must have good knowledge of traffic regulations;</p> <p>(iv) must be able to change wheels and correctly inflate tyres.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group ‘C’ Departmental Promotion/ Confirmation Committee for considering promotion/ confirmation consisting of :-</p> <p>1. Deputy Narcotics Commissioner (Hqrs.) / General Manager, (Neemuch) Govt. Opium and Alkaloid works (whosoever is senior) – Chairman</p> <p>2. Deputy Narcotics Commissioner (Hqrs.) / General Manager, (Neemuch) Govt. Opium and Alkaloid works (whosoever is junior) – Member</p> <p>3. Assistant Narcotics Commissioner (Estt.) – Member</p> <p>Note: Where none of the members at Sl.No.1 to 3 above belongs to Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, a Group ‘A’ Officer from outside the Department belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes category shall also associate as a member of Departmental Promotion Committee.</p>	<p>Not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>3. Staff Car Driver (Ordinary Grade)</p>	<p>23* (2017) *Subject to variation dependent on workload</p>	<p>General Central Service, Group “C”, Non Gazetted, Non-Ministerial</p>	<p>Level – 2 in the Pay Matrix (Rs. 19,900-63,200)</p>	<p>Not applicable</p>	<p>Between 18 to 25 Years* (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government .)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division</p>

					of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshdweep).
					*If the direct recruitment is to be made by direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Possession of a valid driving license for motor cars;</p> <p>(ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle);</p> <p>(iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and</p> <p>(iv) 10th class pass from a recognised Board or equivalent.</p> <p>Desirable:</p> <p>Three years service as Home Guard or Civil Volunteers.</p> <p>Note 1: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed	Deputation/Absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/ Re-employment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation/Absorption:</p> <p>From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in Level – 1 in the Pay Matrix (Rs.18,000-56,900) in the Central Board of Excise and Customs, who possess valid Driving License for Motor Cars</p>	<p>Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of :-</p> <p>1. Deputy Narcotics Commissioner (Hqrs.) / General Manager,</p>	Not Necessary.

<p>on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of the Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in Level – 1 in the Pay Matrix (Rs.18,000-56,900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7).</p> <p>Deputation/Re-employment of Armed Forces Personnel:</p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>(Neemuch) Govt. Opium and Alkaloid works (whosoever is senior) – Chairman</p> <p>2. Deputy Narcotics Commissioner (Hqrs.) / General Manager, (Neemuch) Govt. Opium and Alkaloid works (whosoever is junior) – Member</p> <p>3. Assistant Narcotics Commissioner (Estt.) – Member</p> <p>Note: Where none of the members at Sl.No.1 to 3 above belongs to Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, a Group ‘A’ Officer from outside the Department belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes category shall also associate as a member of Departmental Confirmation Committee.</p>	
---	---	--

[F.No.A-12018/06/2016-Ad.III.-B]

S.D.BHASOR, Dy. Secy.